

**कार्यकारी सार**



## कार्यकारी सार

### पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को समय पर वित्तीय डेटा के इनपुट आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित किए गए बजट अनुमानों और लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित की गई है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रमुख रुझानों तथा संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करती है।

### प्रतिवेदन

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार और जनगणना द्वारा किए आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त डेटा के आधार पर, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

**अध्याय-I** वित्त लेखा पर आधारित है तथा दिनांक 31 मार्च 2018 को सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह, ऑफ बजट के माध्यम से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखा के अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय संग्रहों की प्रवृत्तियों तथा रूपरेखा, प्रतिबद्ध व्यय, तथा उधार पद्धति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

**अध्याय-II** विनियोजन लेखा पर आधारित है तथा विनियोजनों के अनुदान-वार विवरण तथा उस पद्धति का वर्णन करता है जिनके माध्यम से सेवा देने वाले विभागों को आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। कोषागार के निरीक्षण से सृजित टिप्पणियां भी इस अध्याय में की गई हैं।

**अध्याय-III** विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों और लेखों के अप्रस्तुतिकरण से संबंधित सरकार की एक अनुपालना सूची है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में रुझान:** राज्य सरकार, राजस्व प्राप्तियों, राज्य के अपने कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा कुल व्यय के संदर्भ में बजट अनुमान प्राप्त नहीं कर सकी।

राज्य के पास वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,116 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹7,595 करोड़ हो गया।

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹6,177 करोड़ से घटकर ₹2,778 करोड़ हो गया। राज्य के पास वर्ष 2016-17 के दौरान ₹1,610 करोड़ का प्राथमिक घाटा और वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष था।

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 17.31 से घटकर 15.56 प्रतिशत हो गई, जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी।

राज्य के अपने कर राजस्व में सतत वृद्धि देखी गई, विशेषकर जीएसटी और वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर कर में वृद्धि थी, जो वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 में ₹4,579 करोड़ से बढ़कर ₹7,104 करोड़ हो गई।

संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 66.30 प्रतिशत बनता है जो वर्ष 2017-18 के दौरान 71.35 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राज्य का कुल व्यय ₹48,174 करोड़ से ₹51,294 करोड़ तक बढ़ गया। ऋणों एवं अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹8,362 करोड़ से ₹10,378 करोड़ तक और ₹39,812 करोड़ से ₹40,916 करोड़ तक बढ़ गया।

नकद शेष अनिवेशित आरक्षित निधि से ₹2,164 करोड़ तक कम था, जिसका तात्पर्य है कि आरक्षित निधियों का निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त भी प्रयोग किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 79.77 प्रतिशत था, जो वर्ष 2016-17 की तुलना में कम था जो 82.64 प्रतिशत पर था। राजस्व व्यय (₹40,916 करोड़) राज्य द्वारा निर्धारित किए गए अनुमान के अंदर था, और 14वें वित्त आयोग के अनुसार (₹36,092 करोड़) से अधिक था। इसका मुख्य कारण वेतनों एवं पेंशन के भुगतान में वृद्धि था।

कुल व्यय में से, विकासात्मक पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 में 12.18 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 18.62 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि इन्हीं वर्षों में कुल व्यय में से विकासात्मक राजस्व व्यय का हिस्सा 49.41 प्रतिशत से 46.84 प्रतिशत तक घट गया।

वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता के कारण किया गया प्रतिबद्ध व्यय, पिछले वर्ष 63 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 67 प्रतिशत तक था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹96.08 करोड़ की राशि का ऐसी कंपनियों में निवेश किया गया, जिनकी नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार संचित हानियां हैं।

राजकोषीय घाटा 1.97 प्रतिशत था, जो एफआरबीएम अधिनियम के तहत, जीएसडीपी हेतु निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर था।

## अध्याय-II

**वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:** वर्ष 2017-18 के दौरान, नौ मामलों में ₹19,852.10 करोड़ के अनुमोदित प्रावधानों के प्रति ₹26,249.16 करोड़ का व्यय हुआ, जिससे प्रावधान में ₹6,379.06 करोड़ तक वृद्धि हुई। इसे राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है।

बजट कार्यों में लगातार त्रुटियां, बचतें और अधिक व्यय।

दिनांक 31 मार्च 2018 तक ₹1,14,061.35 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करने की आवश्यकता थी।

सहायता अनुदान, वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹2,395.97 करोड़ के सहायक अनुदान की राशि में, सहायिकी के ₹152.00 करोड़ पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की खरीद/बिक्री की परिचालन लागत के तहत ₹0.43 करोड़ का वजीफा तथा छात्रवृत्ति, ₹2.94 करोड़ के वेतन तथा ₹301.99 करोड़ की राशि को राजस्व शीर्षों में उनके लेखांकन की आवश्यकता के प्रति व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्षों के तहत वितरित किया गया था।

### अध्याय-III

**वित्तीय रिपोर्टिंग:** विभिन्न अनुदान ग्राही संस्थानों से, ऋणों तथा अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने में असामान्य विलंब देखा गया।